न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– प्रदीप सिंह सांगावत, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 2 / 2020 (राजसमन्द आर्डर)

1. शिवशंकर पिता श्री अम्बालाल आमेटा, निवासी केलवाडा, तहसील कुम्भलगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
2. रूकमणी देवी पत्नी गणेशलाल जी आमेटा, निवासी बारा, तहसील कुम्भलगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. तुलसीराम पिता प्रताप जी लौहार, नि0 आंतरी, तह0 कुम्भलगढ़, जिला राजसमन्द
2. छगनलाल पिता चुन्नीलाल जी लौहार, नि. आंतरी, त. कुम्भलगढ़, जिला राजसमन्द
3. रतनलाल पिता चुन्नीलाल जी लौहार, नि. आंतरी, त. कुम्भलगढ़, जिला राजसमन्द
4. गणेशलाल पिता भूरालाल जी लौहार, नि. आंतरी, तह. कुम्भलगढ़, जिला राजसमन्द
5. मु. बसन्ती बेवा भूरालाल जी लौहार, नि. आंतरी, तह. कुम्भलगढ़, जिला राजसमन्द
6. विशाल पिता गणेशलाल जी आमेटा, नि. बारा, तह. कुम्भलगढ़, जिला राजसमन्द
7. हिम्मतलाल पिता मांगीलाल जी आमेटा, निवासी बारा, तहसील कुम्भलगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

..... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधि॰1955 विरूद्ध निर्णय
उपखण्ड अधिकारी कुम्भलगढ़ दिनांक
29–08–2019 प्रकरण संख्या 20/2019

———::———

उपस्थित :– 1– श्री कमलेश चौहान अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री एस.एल. मेघवाल अभिभाषक रे.सं. 1, 2, 3, 5

———::———

निर्णय **दिनांक 19–10–2023**

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 5 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1, 2 सपठित धारा 151 जा.दी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की कलम नं 2 में गांव आंतरी में आराजी नंबर 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1032 से 1035, 2242,

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:01:09 IST
Reason: SelfAttested

2243, 2256 स्थित है, जो प्रार्थीगण के स्वामित्व एवं अधिपत्य की होकर अपने पूर्वाधिकारी के समय से काबिज चले आ रहे हैं तथा चारों ओर बाउण्ड्रीवाल बना रखी है एवं फलदार वृक्ष लगा रखे हैं। उक्त आराजियात के पास ही पुराना रास्ता है जो पूर्व से पश्चिम माली का भीलवाड़ा और मुसलमानो की भागल में जाता है। उक्त रास्ते के कुछ भाग पर वर्षो पूर्व पंचायत द्वारा सी.सी. सड़क भी बनवायी गयी है आगे शेष कच्चा रास्ता है। यह रास्ता 10—12 फिट चौड़ा है। वादग्रस्त भूमि के पास ही आराजी नंबर 2276/1031 है, जिसमें भी सुरक्षा हेतु उंची दीवार बनी हुई है। विपक्षी संख्या 1, 2 ने इस आराजी में से कुछ हिस्सा क्रय किया है। चूंकि प्रार्थीगण की भूमि अच्छी लोकशन में होकर कीमती जमीन है इसलिए विपक्षीगण के मन में लालच आ जाने से ताकत के बल पर अपनी जमीन की दीवार को तोड़कर एवं रास्ते की जमीन को अपनी जमीन में मिलाते हुए प्रार्थीगण की भूमि में जबरन कब्जा करना चाहते हैं, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। अतः विपक्षीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे तथा दौराने कार्यवाई विपक्षीगण अवैध कृत्य कर प्रार्थीगण को बेदखल कर जबरन कब्जा कर लेवे तो पूर्व की स्थिति कायम करायी जावे।

विपक्षी संख्या 1 से 4 की ओर से खण्डन का जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार किया तथा निवेदन किया कि विपक्षीगण के स्वामित्व की आराजी नंगबर 2776/1031 के पास ही प्रार्थीगण की भूमि स्थित है। अस्थायी निषेधाज्ञा की आड़ में प्रार्थीगण विपक्षीगण की उक्त आराजी पर कब्जा करना चाहता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों की बहस सुनकर तथा मौके की रिपोर्ट प्राप्त कर दिनांक 29—08—2019 को प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मूलवाद के निस्तारण तक उभयपक्षों को मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/विपक्षी संख्या 1 व 2 ने यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 01—01—2020 को प्रस्तुत की।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1, 2, 3, 5 की ओर से वकील श्री एस. एल. मेघवाल उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4, 6, 7 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब कर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बताया कि अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा उन्हें अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी नहीं दी गयी, दिनांक 23—12—2019 को अधिवक्ता से सम्पर्क करने पर उक्त निर्णय की जानकारी हुई। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अतः विलम्ब कण्डोन कर अपील अन्दर मियाद स्वीकार की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:01:09 IST
Reason: SelfAttested

हमने उक्त आवेदन पर मनन किया। अखण्डित शपथ पत्र, व्यक्त कारणों एवं प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम अंतरी की आराजी नंबर 2776/1031 रकबा 8 बीघा 12 बिस्वा अपीलान्टगण की सहखातेदार की है, जिसमें अपीलान्टगण का हिस्सा निहित है। उक्त भूमि में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 5 का कोई हक अधिकार नहीं है, न ही रेस्पोन्डेन्टगण उक्त आराजियात के सहखातेदार हैं। फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 5 की जमीन के साथ अपीलान्ट की आराजी नंबर 2776/1031 को भी वाद में शामिल करते हुए गतल आधारों पर अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर दी, जो विधि एवं न्याय के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे तथा अपीलान्टगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में चाही गयी दाद उन्हें दिलायी जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने उक्त बहस का खण्डन करते हुए बताया कि मौके पर पक्षकारों के मध्य विवाद को रोकने के उद्देश्य से अधिनस्थ न्यायालय ने मूलवाद के निस्तारण तक मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों की बहस सुनने के बाद उपलब्ध मौका रिपोर्ट के आधार पर यह माना कि उभयपक्ष एक दूसरे के पडोसी खातेदार हैं एवं इनके बीच कब्जे की स्थिति को लेकर गहरा विवाद चल रहा है, जिसके संबंध में न्यायालय हाजा में वाद भी दर्ज कर रखा है। विवादित भूमियों के संबंध में अंतिम विनिश्चयन वाद में साक्ष्य सबूतों के उपरान्त गुणावगुण पर होना है। इसलिए मूलवाद के निस्तारण तक उभयपक्षों को मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 29–08–2019 यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 19–10–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:01:09 IST
Reason: SelfAttested